आत्मनिर्भर भारत

“प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएम एफएमई)”
के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश

पंजीकरण
हैड-होस्टिंग सहायता
डीपीआर और एफएमई
सल्टिडी के लिए आवेदन
बैंकिंग लिंकेज
टेक्नॉलॉजिकल अपग्रेडेसन
एफएमआई/एसएमई/को-ऑपरेटिव्स को समर्थन
कांस्य फंसीलिटीज
ब्रंडिंग और विक्री

वोकल फॉर लोकल

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार

पंचशील भवन, अगस्त कृति मार्ग, नई दिल्ली - 110049

वेबसाइट : www.mofpi.nic.in
<table>
<thead>
<tr>
<th>संख्या</th>
<th>उपरक्ति</th>
<th>पृष्ठब्बूंमि</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.0</td>
<td>पृष्ठभूमि</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>2.0</td>
<td>एक जिला एक उत्पाद</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>3.0</td>
<td>कार्यक्रम अवयव</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>4.0</td>
<td>निजी श्रेणी</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>5.0</td>
<td>समूह श्रेणी</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>6.0</td>
<td>कॉमन इंफ्रास्ट्रोक्चर के लिए समर्थन</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>7.0</td>
<td>ब्रांडिंग और विक्री सहायता</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>8.0</td>
<td>क्षमता निर्माण और अनुसंधान</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>9.0</td>
<td>सांस्थानिक आर्किटेक्चर</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>10.0</td>
<td>अध्ययन और रिपोर्टें</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>11.0</td>
<td>पीआईपी</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>12.0</td>
<td>निर्दिष्ट का वितरण</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>13.0</td>
<td>अनुदान के लिए बैंक की कार्रवाई</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>14.0</td>
<td>एमआईएस</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>15.0</td>
<td>विशेषज्ञ संस्थानों का पैनल बनाना</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>16.0</td>
<td>कन्वर्जेंस संरचना</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>संक्षिप्त रूप एवं परिवर्णी शब्द</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>डीपीआर</td>
<td>डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>डीएलसी</td>
<td>डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>एफपीआई</td>
<td>फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>एफपीओ</td>
<td>फार्मर प्रोड्यूसर ऑगोनाइजेशन</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>एफपीआई</td>
<td>फ़र्म लेवल अपग्रेडेशन ज्ञान</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>जीआईए</td>
<td>गवर्नमेंट ऑफ इंड़िया</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>एफपीआई</td>
<td>फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>एमआईएस</td>
<td>अक्सीमेंट इंटर-मिनिस्ट्री सिस्टम</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>एमआईएस</td>
<td>मैनजमेंट इन्फ्रामिशन सिस्टम</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>एमआईएस</td>
<td>मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>एमओए</td>
<td>मेरमेंट ऑफ एंडरस्ट्रिडिंग</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>एमएसएस</td>
<td>मिनिस्ट्री ऑफ फ्लिक डेवलपमेंट एंड एंट्रीप्रियोरिटी</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>एमएसएस</td>
<td>माइक्रो, स्मूल एंड मीडियम एंटरप्राइज</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>एनसीसीसी</td>
<td>नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>एनआईएफ</td>
<td>नेशनल इंटर-क्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>एनओएफ</td>
<td>नॉन-गवर्नमेंट ऑगोनाइजेशन</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>एनआरएलएम</td>
<td>नेशनल एनडरल लाइवली एसडबी एंड डेवलपमेंट बाइकार्ट ऑफ इंडिया</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>एससी</td>
<td>शिशुल कास्ट</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>एसटी</td>
<td>शिशुल टाइब</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>एसएचजी</td>
<td>श्रेणी टिक ग्रुप</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>इसडबी</td>
<td>स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>एसएलएस</td>
<td>स्टेट लेवल अप्रूस्त कमेटी</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>एसएनए</td>
<td>स्टेट नोडल एजेंसी</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>एसआरएलएम</td>
<td>स्टेट रूलर लाइवली एडिशन मिशन</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>टॉपआर</td>
<td>स्टर्स ऑफ रेफरेंस</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>यूटी</td>
<td>यूनियन टेस्टरी</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
1.0 पृष्ठभूमि:

1.1 संक्षिप्त विवरण:
1.1.1 देश में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लगभग 25 लाख खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं जो गैर-पंजीकृत एवं अनौपचारिक हैं। प्लांट और मशीनरी में केवल 7% निवेश और 3% बकाया क्रेडिट के साथ असंगठित उद्यम खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में रोजगार में 74% (एक तिहाई महिलाएं), आउटपुट में 12% और मूल्यवर्धन में 27% का योगदान करता है। इनमें से लगभग 66% यूनिटें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं और उनमें से लगभग 80% परिवार आधारित उद्यम हैं। इनमें से अधिकांश यूनिटें प्लांट और मशीनरी में अपने निवेश तथा टॉर्नोवर के अनुरूप सूचक निर्माण उद्योगों की श्रेणी में आती है।

1.1.2 भारत में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ऐसे चुनौतियों का सामना करते हैं जो इनके विकास को सीमित करती हैं तथा प्रदर्शन को कमजोर करती हैं। इन चुनौतियों में शामिल हैं: (क) सीमित कौशलों के कारण उत्पादकता एवं नवप्रवर्तन तथा उत्पादन और पैकिंग के लिए आधुनिक पौधोगिकी तथा मशीनरी तक पहुंच का अभाव; (ख) अच्छी हाइजैनिक एवं विनिर्माण प्रक्रियाओं के संबंध में मूल जागरूकता के अभाव सहित दीर्घकालिक गुणवत्ता एवं खाद्य संरक्षण नियंत्रण प्रणालियाँ; (ग) ब्रांडिंग और विपणन दक्षताओं का अभाव तथा आयुर्वेद श्रृंखलाओं इत्यादि के साथ एकीकरण की अक्षमता; (घ) सरकार की श्रमिक और अपूर्ण मूल्य \vruddhikā एवं वायन एवं रूपांतरकरण के लिए सहायता की आवश्यकता है। पिछले दशक में केंद्र और राज्य सरकारों ने खाद्य प्रसंस्करण संगठन (एफपीओ) एवं महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) में किसानों को संगठित करने के लिए संघर्ष प्राप्त किये हैं। स्व-सहायता समूहों ने पिछले दशक में पर्याप्त प्रगति प्राप्त की है और 97% एनपीए स्तर के साथ उनका पुनर्निर्माण रिकॉर्ड उल्लम्बित रिकॉर्ड में से है। सरकारों ने खाद्य प्रसंस्करण-सह-विभिन्न निर्माण तथा सेवा क्षेत्र के कार्यक्रमों को चलाने के लिए एसएचजी को समर्थन देने के लिए एसएचजी को सहायता देती हैं ताकि वे निवेश कर सकें और अपने प्रारंभिक को अपस्थलण कर सकें।

1.1.3 असंगठित सूचक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कौशल ट्रेनिंग, उद्यमशीलता, पौधोगिकी, क्रेडिट एवं विपणन, संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए संघर्ष हेड-होस्टिंग सहायता की आवश्यकता है तथा बेहतर आउटपुट के लिए राज्य सरकार की सक्षम भागीदारी भी आवश्यक है। पिछले दशक में केंद्र और राज्य सरकारों ने खाद्य प्रसंस्करण संगठनों (एफपीओ) एवं महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) में किसानों को संगठित करने के लिए संघर्ष प्राप्त किये हैं। स्व-सहायता समूहों ने पिछले दशक में पर्याप्त प्रगति प्राप्त की है और 97% एनपीए स्तर के साथ उनका पुनर्निर्माण रिकॉर्ड उल्लम्बित रिकॉर्ड में से है। सरकारों ने खाद्य प्रसंस्करण-सह-विभिन्न निर्माण तथा सेवा क्षेत्र के कार्यक्रमों को चलाने के लिए एसएचजी को समर्थन देने के लिए एसएचजी को सहायता देती हैं ताकि वे निवेश कर सकें और अपने प्रारंभिक को अपस्थलण कर सकें।

1.1.4 यह योजना केंद्र प्राप्तिज्ञ योजना है जो दृष्टि उद्यमों के साथ आ रही चुनौतियों का समाधान करने और इन उद्यमों के उन्नयन तथा फॉर्मेलाइजेशन में सहायता देने के लिए समूहों तथा सहकारिताओं की क्षमता का उपयोग करने के लिए तैयार की गई है।

1एनएसएसओ, 2015
1.2 लक्ष्य:
1.2.1 इस योजना के लक्ष्य है:
i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित खंड में मौजूदा निजी सूक्ष्म उद्योग की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाना और क्षेत्र के फ़ॉर्मलाइजेशन को प्रोत्साहन देना; तथा
ii) किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) और उत्पादक सहकारिताओं को उनकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए सहायता देना।

1.3 उद्देश्य:
1.3.1 योजना के उद्देश्य सूक्ष्म उद्योगों की क्षमता निर्माण करना है ताकि वे:
i) मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, एफपीओज, स्व-सहायता समूहों एवं सहकारिताओं द्वारा क्रेडिट के लिए पहुँच क्षमता बढ़ाने में सक्षम हो;
ii) ब्रांडिंग और विपणन को मजबूत बनाकर संगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण कर सकें;
iii) मौजूदा 2,00,000 उद्योगों का औपचारिक फ्रेमवर्क में अंतरण करने के लिए सहायता दे सकें;
iv) सांख्यिकीय सर्वेक्षण द्वारा सांख्यिकीय प्रयोगशालाओं, भंडारण, पैकिंग, विपणन और इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवाओं तक पहुँच अधिक हो सकें;
v) खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में संस्थाओं का, अनुसंधान एवं ट्रेनिंग की मजबूती; और
vi) व्यापारिक एवं तकनीकी सहायता के लिए उद्योगों के लिए पहुँच में वृद्धि।

1.4 परिप्रेक्ष्य:
1.4.1 योजना में 2020-21 से 2024-25 तक की पांच वर्षों की अवधि में 10,000 करोड़ रुपए के परिप्रेक्ष्य की परिकल्पना की गई है। योजना के अंतर्गत व्यापार और राज्य सरकारों के बीच 60:40, पूर्वोत्तर एवं हिमालयीन राज्यों के बीच 90:10, विधान परिषदों युक्त संघ क्षेत्रों के साथ 60:40 के अनुपात में तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्र द्वारा 100% वहन किया जाएगा।

1.5 कवरेज:
1.5.1 योजना के अंतर्गत 2,00,000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सीधे क्रेडिट लिंक्ड सब्रिडी सहायता दी जाएगी। पर्याप्त सहायक कॉमन इनफ्रास्ट्रक्चर तथा संस्थागत आर्किटेक्चर को क्षेत्र की वृद्धि को तेज करने के लिए सहायता दी जाएगी।

2.0 एक जिला एक उत्पाद:
2.1 इनपुट की प्राप्ति, सांख्यिक सेवाओं की प्राप्ति करने और उत्पादों के विपणन के अनुसूच हैनिकट ऑफ़ स्केल का लाभ उठाने के लिए योजना में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण अपनाया गया है। योजना के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) मूल्य श्रृंखला विकास तथा सहायक इनफ्रास्ट्रक्चर के मार्गरित/एलाइनमेंट हेतु फ्रेमवर्क उपलब्ध कराएगी। एक जिले में एक से अधिक ओडीओपी उत्पाद हो सकते हैं तथा एक क्लास्टर का विस्तार एक से अधिक जिलों में हो सकता है।
2.2 शीघ्र खराब होने वाली उपज ध्यान केंद्रित करने के योजना लक्ष्य को देखते हुए राज्य, एक जिले के लिए खाद्य उत्पाद निर्धारित करेंगे। राज्य सरकार द्वारा एक बेस-लाइन अध्ययन कराया जाएगा। ओडीओपी उत्पाद एक शीघ्र खराब होने वाली उपज, अनाज आधारित उत्पाद अथवा एक जिले में एवं उससे संबंधित क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपजाया जाने वाला खाद्य उत्पाद हो सकता है। उदाहरण के तौर पर आम, आलू, लीची, टमाटर, साबूदाना, किस्म, भुजिया, पेटा, पापड़, आचार, मोटे अनाज आधारित उत्पाद, मस्तिष्की, पॉल्ट्री, मांस तथा पशु आहार। इसके अतिरिक्त, योजना के अंतर्गत अपशिष्ट से मूल्यवान उत्पादों सहित कुछ अन्य पारंपरिक एवं अभिनव उत्पादों को सहायता दी जा सकती है। उदाहरण के लिए शहद, जनजाति क्षेत्रों में लघु वन उपज, पारंपरिक भारतीय हर्षद्राक्ष पदार्थ जैसे कि हल्दी, आंवला आदि। कृषि उपज के लिए सहायता कम अपव्यय, उचित परख तथा भंडारण एवं विपणन के प्रयासों के साथ-साथ उनके प्रसंस्करण के लिए होगी।

2.3 पूर्ण निवेश के लिए मौजूदा निजी सुक्ष्म उद्योगों को सहायता देने के संबंध में ओडीओपी उत्पादों का उत्पादन करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। परंतु, अन्य उत्पादों को उत्पादन करने वाली मौजूदा उद्योगों को भी सहायता दी जाएगी। समूहों की प्रभावी रूप से ओडीओपी उत्पादों में शामिल समूहों द्वारा पूर्ण निवेश के मामले में सहायता दी जाएगी।

2.4 ऐसे जिलों में अन्य उत्पादों का प्रसंस्करण करने वाले समूहों को सहायता केवल उनके लिए ही दी जाएगी जो उन उत्पादों का पहले से प्रसंस्करण कर रहे हैं और जिनके पास पर्याप्त तकनीकी, वित्तीय एवं उद्योगी क्षमता है।

2.5 नए उद्यम चाहे वे निजी के लिए हों या समूहों के लिए को सहायता केवल ओडीओपी उत्पादों के लिए ही दी जाएगी।

2.6 कॉम्पनी इनफ्रास्ट्रक्चर एवं विपणन तथा ब्रांडिंग के लिए सहायता ओडीओपी उत्पादों के लिए ही होगी। राज्य अथवा क्षेत्र स्तर पर विपणन और ब्रांडिंग के लिए सहायता के मामले में जिलों के समान उत्पादों को भी जिनमें वही उत्पाद ओडीओपी के रूप में नहीं हैं, शामिल किया जा सकता है।

2.7 वाणिज्य विभाग वर्तमान पृष्ठ निर्धारित तीनों के अंतर्गत निर्धारित किए जाने में सहायता देती है। राज्य क्षेत्र विभाग एवं प्रशिक्षण के लिए सहायता ओडीओपी उत्पादों के लिए ही होगी। राज्य अथवा क्षेत्र स्तर पर विपणन और ब्रांडिंग के लिए सहायता के मामले में जिलों के समान उत्पादों को भी जिनमें वही उत्पाद ओडीओपी के रूप में नहीं हैं, शामिल किया जा सकता है।
3.0 कार्यक्रम अवयव:
3.1 क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्यक्रम के चार व्यापक अवयव हैं:
   (i) निजी एवं समूह सूक्ष्म उद्यमों को सहायता;
   (ii) ब्रांडिंग और विपणन सहायता;
   (iii) संस्थान सुदृढ़करण हेतु सहायता;
   (iv) मजबूत परियोजना प्रबंधन क्रेमवर्क की स्थापना।

3.2 इनमें से प्रत्येक अवयव का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

4.0 निजी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:
4.1 निजी सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को प्रति उद्यम पात्र परियोजना लागत की 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सक्षमता परम्पर अधिकतम 10.0 लाख रूपये दिए जाएंगे। लाभार्थ का योगदान न्यूनतम 10% होना चाहिए और शेष राशि बैंक से ऋण होनी चाहिए।

4.2 योजना के अंतर्गत निजी सूक्ष्म उद्यमों के लिए पात्रता मानदंड:
   (i) प्रचालनरत मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें;
   (ii) मौजूदा उद्यम ओडीओपी उपयोग के लिए एसएलयूपी में चिह्नित की हुई होनी चाहिए अथवा भौतिक समर्थन के आधार रिसोर्स पर्सन द्वारा सत्यापित की गई होनी चाहिए।
   (iii) बिजली का उपयोग करने वाले उद्योगों के मामले में बिजली बिल उनके प्रचालन में होना का समर्थन करेंगे। अन्य उद्योगों के लिए विद्यमान प्रचालन, सूची, मशीनें एवं सेल्स आधार का काम करेंगी।
   (iv) उद्यम अनिवार्य होना चाहिए और उसमें 10 से कम श्रमिक होने चाहिए;
   (v) वैहतर होगा कि उद्यम जिले के ओडीओपी में चिह्नित किए गए उपयोग के उपयोग में लग हुआ होना चाहिए। अन्य सूक्ष्म उद्यमों पर भी विचार किया जा सकता है;
   (vi) आवंदक के पास उद्यम के खाद्य प्रसंसक का अधिकार होना चाहिए;
   (vii) उद्यम के स्वामित्व की स्थिरता स्वामित्व/भागीदार फॉर्म हो सकती है;
   (viii) आवंदक 18 वर्ष से अधिक का होना चाहिए और कम से कम 8वीं कक्षा की शैक्षणिक योग्यता रखता हो;
   (ix) एक परिवार से केवल एक व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा। इस प्रयोजन के लिए “परिवार” में स्वयं, पति या पती और बच्चे शामिल होंगे;
   (x) फॉर्मलाइजेशन का इच्छुक हो और परियोजना लागत के 10% का योगदान दें तथा बैंक ऋण प्राप्त करें;
   (xi) भूमि की लागत परियोजना लागत में शामिल नहीं की जानी चाहिए। तैयार बने हुए की लागत तथा लंबी पद्धति अथवा किराए पर वर्कशेड को परियोजना लागत में शामिल में किया जा
सकता है | वर्कशेड का पत्र किराया परियोजना लागत में शामिल किया जाए जो केवल अधिकतम तीन वर्ष के लिए हो |  

4.3 निजी सूचक उद्यमों के लिए चयन प्रक्रिया:  

4.3.1 सहायता दिए जाने हेतु मौजूदा उद्योगों को चिह्नित करने की प्रक्रिया दोमुखी होगी। एक जिला एक उत्पाद हैटिकोण पर आधारित सहायता देने में उन उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो जिले में उस उत्पाद में शामिल हों। अन्य उद्योगों जिनमें क्षमता हो, सहायता प्राप्त कर सकती है।  

4.3.2 आवेदन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों से उद्यमों के लिए ऑनरोइंग आधार पर जिला स्तर पर आपूर्ति किए जाएंगे। सोट व्यक्ति विभिन्न क्लास्टरों का सर्वेक्षण करें और उन उद्योगों की पहचान करें जिनमें योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की क्षमता हो। सीधे प्राप्त होने वाले आवेदनों के लिए सोट व्यक्ति क्षेत्र जांच करें और उनकी क्षमता का आकलन करने में पर्याप्त सावधानी बरतें।  

4.3.3 सोट व्यक्तियों द्वारा सीधे चिह्नित उद्योगों के आधार पर सभी संभावित मामले एवं प्राप्त हुए आवेदन जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। जिला स्तरीय समिति प्रत्येक उद्योग के लिए सोट व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का अध्ययन करें और इच्छुक व्यक्तियों का सशक्तकरण करें।  

4.3.4 प्रत्येक उद्योग के लिए सोट व्यक्ति द्वारा किए गए उचित मूल्यांकन में निम्नलिखित का ब्यौरा होना चाहिए:  

(क) उद्यम का वार्षिक टॉर्नाउट;  
(ख) उद्यम द्वारा भुगतानों का टैक रिकॉर्ड;  
(ग) मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर;  
(घ) बैकवर्ड एवं सर्फवर्ड लिंकेज;  
(ङ) क्लास्टरों से निकटता;  
(च) उद्यम के विपणन लिंकेज।  

4.3.5 जिला स्तरीय समिति/एसएनए द्वारा संस्थान किए गए मामलों में सोट व्यक्तियों को उद्योग के उन्नयन के लिए बैंक से रूप प्राप्त करने हेतु डीपीआर की तैयारी में उनकी सहायता करनी चाहिए। आवश्यक दस्तावेजों के साथ डीपीआर रूप मंजूरी हेतु बैंक को भेजी जानी चाहिए।  

4.4 ऊपर वर्णित प्रक्रिया नए उद्योगों के चयन के लिए भी लागू होगी, बशर्ते कि ओडीओ पेस-लाइन अध्ययन इस प्रकार के नए निवेशों के लिए आवश्यकता/क्षमता दर्जाए।
4.5 राज्य सरकारों को यह निश्चित करना चाहिए कि वे किस स्तर पर डीएलसी अथवा एसएनए के स्तर पर सहायता दिए जाने हेतु निजी सूचक उद्योगों की सूची को अंतिम रूप देना चाहेंगे। इसी प्रकार, समूहों द्वारा पूंजी निवेश, कॉमन इनफ्रास्ट्रक्चर एवं विपणन तथा ब्रांडिंग के लिए आवेदनों हेतु राज्य आवेदनों को भेजने में डीएलसी/एसएनए की भूमिका निर्धारित करें।

5.0 समूह श्रेणी:
5.1 योजना छटाई, ग्रेइंग, जॉंच, भंडारण, कॉमन प्रसंस्करण, पैकिंग, विपणन, कृषि-उपज का प्रसंस्करण और परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए क्लस्टरों और समूहों जैसे एफपीओ/एसएचजी/उपचार समितियों को उनकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को भी सहायता देगी।

5.2 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/उत्पाद सहकारिताएँ:
5.2.1 एफपीओ और उत्पादक सहकारिताओं को निम्नलिखित सहायता दी जाएगी:
   (i) क्रेडिट लिंकेज के साथ 35% की दर से अनुदान;
   (ii) ट्रेनिंग सहायता;
   (iii) इस प्रकार के मामलों में अनुदान की अधिकतम सीमा यथा-निर्धारण अनुसार होगी।

5.2.2 सहकारिताओं/एफपीओ के लिए पात्रता मानदंड:
   (i) बेहतर हो यदि यह ओडीओपी उपज के प्रसंस्करण में लगी हो;
   (ii) इसका न्यूनतम टन्नोवर 1 करोड़ रुपए होना चाहिए;
   (iii) प्रस्तावित परियोजना की लागत वर्तमान टन्नोवर से अधिक नहीं होनी चाहिए;
   (iv) सदस्यों को उत्पाद से निपटने की पर्याप्त जानकारी और कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए;
   (v) सहकारिता/एफपीओ के पास पर्याप्त यात्रित संसाधन अथवा राज्य सरकार की मंजूरी होनी चाहिए ताकि वह वर्किंग कैपिटल के लिए परियोजना लागत का 10% और मार्जिन मनी पूरी कर सके।

5.3 स्व-सहायता समूह (एसएचजी):
5.3.1 अनेक एसएचजी खाद्य प्रसंस्करण कार्यकलाप चला रहे हैं। योजना में एसएचजी को निम्नलिखित सहायता देने का प्रस्ताव है:

5.3.2 प्रारंभिक पूंजी:
   (i) योजना के अंतर्गत वर्किंग कैपिटल तथा छोटे औजारों की क्रियाकलाप के लिए एसएचजी के प्रलेख सदस्य को 40,000/- रुपए की दर से प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी;
   (ii) प्रारंभिक पूंजी देने में ओडीओपी उपज में शामिल एसएचजी को प्राथमिकता दी जाएगी;
(iii) किसी एसएचजी के सभी सदस्य खाद्य प्रसंस्करण में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए, प्रारंभिक पूंजी एसएचजी के संघ के स्तर पर उपलब्ध कराई जाएगी;
(iv) यह एसएनए/एसआरएलएम द्वारा एसएचजी फैडरेशन को अनुदान के रूप में दी जाएगी। एसएचजी संघ यह राशि एसएचजी के सदस्यों को ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उसका एसएचजी पुनर्भूमितान किया जा सके।

5.3.3 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड अनुदान के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की एक उद्योग के रूप में निजी एसएचजी सदस्य को अधिकतम राशि 10 लाख रुए की सहायता।

5.3.4 एसएचजी स्तर के फैडरेशन में पूंजी निवेश हेतु सहायता जिसमें क्रेडिट लिंक्ड अनुदान 35% की दर पर होगा। ऐसे मामलों में अनुदान की अधिकतम राशि निर्धारण किए अनुसार होगी।

5.3.5 एसएचजी को ट्रेनिंग तथा हैंड-होल्डिंग सहायता: एसएचजी को सहायता देने के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित सूत्र व्यक्ति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) में उपलब्ध हैं। कृषि उपज में विशेषज्ञता रखने वाले एसआरएलएम के इन स्थानीय सूत्र व्यक्तियों को ट्रेनिंग, उद्योगों के उन्नयन, डीपीआर की तैयारी, हैंड-होल्डिंग सहायता इत्यादि के लिए उपयोग किया जाएगा।

5.3.6 एसएचजी के लिए प्रारंभिक पूंजी हेतु पात्रता मानदंड:
(i) वर्तमान में केवल खाद्य प्रसंस्करण में नियोजित एसएचजी के सदस्य ही पात्र होंगे;
(ii) एसएचजी सदस्य को वर्किंग कैपिटल एवं छोटे औजारों की खरीद के लिए इस राशि का उपयोग करने का वचन देने पड़ता है और इस संबंध में एसएचजी तथा एसएचजी फैडरेशन के प्रति विश्वसनीय रूप में पड़ता है;
(iii) प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराने से पहले एसएचजी फैडरेशन को प्रत्येक सदस्य के बारे में निम्नलिखित मूल सूचना एकत्र जारी करनी चाहिए:
   (k) प्रसंस्कृत किया जा रहे उत्पाद का ब्यूरो;
   (ख) चलाए जा रहे अन्य कार्यक्रम;
   (ग) वार्षिक टॉर्नाउट;
   (घ) कच्चे सामग्री का स्रोत और उपज का विपणन

5.3.7 एसएचजी के लिए पूंजी निवेश हेतु क्रेडिट-लिंक्ड अनुदान के पात्रता मानदंड:
(i) एसएचजी के पास परियोजना लागत का 10% और वर्किंग कैपिटल के लिए 20% मार्जिन मनी को पूरा करने के लिए पर्याप्त निजी निधियों अथवा राज्य सरकार से अनुदान के रूप में इसकी स्वीकृति होनी चाहिए;
(ii) एसएचजी सदस्यों को ओडीओपी उत्पाद के प्रसंस्करण का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए;
6.0 कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सहायता:

6.1 कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर सहायता एफपीओ, एसएचजी, सहकारिताओं, किसी सरकारी एजेंसी अथवा निजी उद्यम को दी जाएगी। योजना के अंतर्गत सूचित कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर अन्य उद्योगों और जनता के लिए भी उपलब्ध होगी ताकि क्षमता के महत्वपूर्ण भाग के रूप में किराये के आधार पर उपयोग में ताई जा सके। इस श्रेणी के अंतर्गत परियोजना की पत्रिका किसानों और मुख्य रूप से उद्योग को लाभ, वैलिडेट गैप, निजी निवेश के अभाव, मूल्य श्रंखला के लिए महत्त्व के आधार पर प्रशिक्षित की जाएगी। ऐसे मामलों में निर्धारण किए अनुसार क्रेडिट-लिक्ड अनुदान अधिकतम 35% की दर तक उपलब्ध होगा।

6.2 योजना के अंतर्गत फंडड की जाने वाली कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रकार: निम्नलिखित कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर की योजना के अंतर्गत वित्त उपलब्ध कराया जाएगा।

(i) कृषि उपज की जांच, छटाई, प्रेडिक्शन, खेत पर गोदाम एवं कोल्ड स्टोरेज के लिए परिसर;
(ii) ओडीओपी उपज के प्रसंस्करण हेतु कॉमन प्रसंस्करण सुविधा;
(iii) इन्फ्रास्ट्रक्चर संचालन में एक या अधिक उत्पाद प्रणालियां शामिल होनी चाहिए जो छोटे उद्योगों द्वारा अपनी उपजों के प्रसंस्करण के लिए विक्रय के आधार पर उपयोग की जा सकें। इन्फ्रास्ट्रक्चर संचालन आंशिक रूप से ट्रेनिंग के प्रयोजन हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। यह व्यावसायिक आधार पर संचालित किया जाना चाहिए।

6.3 एफपीओ/एसएचजी/सहकारिताओं द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा पूंजी निवेश के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए समूहों हेतु प्रक्रिया:

6.3.1 योजना के अंतर्गत एफपीओ/एसएचजी/सहकारिताओं द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा पूंजी निवेश हेतु वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

(i) पूंजी निवेश तथा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु डीपीआर यथा निर्दिष्ट प्राप्त के अनुसार तैयार की जानी चाहिए;
(ii) डीपीआर में प्रस्ताव, विस्तृत परियोजना लागत, प्रस्तावित मैन पॉवर, टर्मिनेशन वैनल, कच्ची सामग्री के स्रोतों, अनुमानित लाभ एवं हानि का ब्यौरा, नकदी प्रवाह विवरण इत्यादि का आवश्यक विवरण प्रस्तावित किया जाना चाहिए;
(iii) डीपीआर राज्य नोडल एजेंसी को भेजी जानी चाहिए। एसएलएसी द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात एनएनए को प्रस्ताव खाता प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को संस्तुत करना चाहिए। 10 लाख रुपए से अधिक के अनुदान हेतु समूह की सहायता का कोई भी प्रस्ताव अनुमोदन हेतु खाता प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए;
(iv) खाता प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किए जाने के पश्चात उसे रूप स्वीकृत हेतु वित्तीय संस्थान को भेजा जाना चाहिए;
(v) डीपीआर द्वारा यथा प्रस्तावित तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के लागत मानदंडों के अनुसार ट्रेनिंग घंटों और मॉड्यूलों के आधार पर मूल्य के सदस्यों को ट्रेनिंग सहायता के
लिए भी प्रस्ताव होना चाहिए। ट्रेनिंग और क्षमता निर्माण के अवयव को योजना के अंतर्गत पूरा वित उपलब्ध कराया जाएगा;
(vi) डीपीआर तैयार करने के लिए एफपीओ/एसएचजी/सहकारिता को 50,000 रुपए प्रति मामले उपलब्ध कराए जाएगे;
(vii) बैंक द्वारा ऋण की मंजूरी दिए जाने के पश्चात अनुदान का वितरण आवेदक संगठन के बैंक खाते में होना चाहिए।

7.0 ब्रांडिंग और विपणन सहायता:
7.1 योजना के अंतर्गत विपणन और ब्रांडिंग सहायता एफपीओ/एसएचजी/सहकारिता के समूहों अथवा सुक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के एसपीवी को दी जाएगी। ओडीओपी हीटिकोपन अपनाने के पश्चात विपणन और ब्रांडिंग सहायता राज्य अथवा क्षेत्र स्तर पर ऐसे उत्तराधिकारी के लिए ही दी जाएगी।

7.2 सहायता के लिए पात्र मददः-
(क) विपणन संबंधी ट्रेनिंग के लिए योजना के अंतर्गत पूरा वित उपलब्ध कराया जाएगा;
(ख) सांझा पैकेजिंग में भाग लेने के लिए मानकीकरण सहित सांझा ब्रांड और पैकेजिंग का विकास करना;
(ग) राष्ट्रीय एवं राज्य रिटेल चेन और राज्य स्तरीय संस्थाओं के साथ विपणन तालमेल;
(घ) अपेक्षित मानदंडो का पूरा करने के लिए उत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु गुणवत्ता नियंत्रण।

7.3 विपणन एवं ब्रांडिंग के लिए सहायता हेतु सांझा ब्रांड, सांझा पैकिंग और उत्ताद स्टैंडर्डाइजेशन का विकास करना अपेक्षित होता है। सांझा ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए उपयुक्त स्तर एक स्थान से दूसरे स्थान, एक मामले से दूसरे मामले और एक उत्ताद से दूसरे उत्ताद के लिए भिन्न-भिन्न होगा। यह स्तर जिला, क्षेत्र अथवा राज्य का हो प्रत्येक मामले में संबंधित एसएनए द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसलिए, विपणन एवं ब्रांडिंग को सहायता हेतु प्रस्ताव एसएनए द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। ब्रांडिंग और विपणन के लिए सहायता कुल व्यय की 50% तक सीमित होगी। ऐसे मामलों में अनुदान की अधिकांश सीमा किए गए निर्धारण के अनुसार होगी। योजना के अंतर्गत रिटेल आउटलेट खोलने के लिए कोई सहायता नहीं दी जाएगी।

7.4 राष्ट्र स्तर पर वर्तिकल उद्योग को ऊपर ओडीओपी फोकस के लिए दिए गए विवरण की भांति ब्रांडिंग और विपणन के लिए सहायता दी जा सकती है। सांझा ब्रांडिंग/पैकेजिंग तथा विपणन के लिए इस प्रकार की सहायता राष्ट्र स्तर पर दी जाएगी। उस सहायता के लिए प्रस्ताव राज्यों अथवा राष्ट्र स्तरीय संस्थाओं या संगठनों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को भेजे जाने चाहिए।
7.5 पात्रता मानदंड:
7.5.1 प्रस्तावों को निम्नलिखित शर्तों पूरी करना चाहिए:-
(i) प्रस्ताव ओडीओपी से संबंधित होने चाहिए;
(ii) सहायता के लिए पात्र बनने हेतु उत्ताद का यूनिम टर्नओवर 5 करोड़ रुपए होना चाहिए;
(iii) अंतिम उत्ताद वह होना चाहिए जो रिटेल पैक में उपभोक्ता को बेचा जाए;
(iv) बड़ी संख्या में उत्तादकों को एक साथ लाने के लिए उत्तादक को एफडीएसएचजी/एसएचजी/सहकारिता/क्षेत्र-राज्य स्तर पर एसपीवी होना चाहिए;
(v) उत्ताद और उत्तादक बड़े स्तरों पर मापनीय होने चाहिए;
(vi) प्रबंधन और संस्था का प्रस्तावनीति करने की उद्यमशीलता क्षमता प्रस्ताव में प्रमाणित की जानी चाहिए।

7.6 ब्रांडिंग और विपणन के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया:

7.6.1 डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना:
(i) प्रस्ताव के लिए डीआर तैयार की जानी चाहिए जिसमें परियोजना, उत्ताद, रणनीति, गुणवत्ता नियंत्रण, उपयोग के एकीकरण, सांख्यिकी विश्लेषण और ब्रांडिंग, मूल्य निर्धारण नीति, प्रोत्साहन संबंधी बौद्धिक, गोदाम और स्टोरेज, विपणन माध्यम, बिक्री में वृद्धि की योजनाओं इत्यादि का अनिवार्य बौद्धिक व्यय शामिल है;
(ii) विपणन और ब्रांडिंग के लिए प्रस्तावों की डीआर तैयार करने के लिए एसएनए से 5 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध होगी;
(iii) प्रस्ताव में कच्ची सामग्री की खरीद से लेकर विपणन के कार्यक्रमों, महत्वपूर्ण कंट्रोल प्याइटिज्म, गुणवत्ता नियंत्रण इनकुशित करना, प्रोत्साहन कार्यक्रमों के अनुसार 5 वर्षों के लिए योजनाओं, भागीदार उत्तादकों की बढ़ती हुई संख्या और टर्नआउट का भी अनुक्रम चार्ट होना चाहिए।

7.6.2 सहकारिताओं/एसएचजी/एसपीवी, अग्रणी खरीदकर्ता, यदि कोई हो और एसएनए के बीच निष्पादित कार्य योजना के साथ अनुबंध होना चाहिए जो उत्तादकों की पूंजी क्षमता से संबंधित अतिक्रमण योजनाओं और प्रस्तावित सुधारों का उल्लेख करेगा जिससे वे अपनी उत्तादन और कौशल क्षमता को उन्नत कर सकेंगे जिससे बाजार अर्थात् अग्रणी क्रेटों के साथ उनके संबंध मजबूत होंगे।

8.0 क्षमता निर्माण और अनुसंधान:
8.1 राष्ट्रीय संस्थाओं को सहायता:

8.1.1 सूचक खाता प्रसंस्करण उद्योग के तकनीकी उन्नयन और फॉर्म्स लाइजेशन में क्षमता निर्माण और ड्रॉनिंग एक महत्वपूर्ण अवयव है। राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय खाता प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान
निप्टम और भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी की संस्थान (आईआईएफपीटी) क्षमता निर्माण और अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। वे अनुसंधान और क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता हेतु पात्र होंगे। निप्टम और आईआईएफपीटी राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों के साथ मिलकर चयनित उद्योगों/समूहों/क्लास्टरों को ट्रेनिंग एवं अनुसंधान सहायता उपलब्ध कराएंगे। आईसीएआर, सीएसआईआर के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यम विशिष्ट संस्थान या डीएफआरएल और सीएफटीआरआई जैसे अग्रणी संस्थान ट्रेनिंग और अनुसंधान के लिए पूरे देश में वर्तिकल सहायता उपलब्ध कराने के लिए साझीदार संस्थान होंगे।

8.1.2 निप्टम और आईआईएफपीटी निम्नलिखित कार्यकलाप संचालित करेंगे:–
(i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, राज्य और जिला कार्मिकों की क्षमता निर्माण तथा ट्रेनिंग;
(ii) पादयक्ष एवं ट्रेनिंग मॉड्यूल विकसित करना और सूक्ष्म उद्योगों तथा समूहों को आगे ट्रेनिंग देने के लिए राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों के साथ साझीदारी करना;
(iii) प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग देना;
(iv) ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित करना;
(v) सूक्ष्म उद्योगों के लिए प्रजातीय उत्पादों हेतु मानक वित्सू परियोजना रिपोर्ट तैयार करना;
(vi) प्रजातीय सूक्ष्म उद्योगों के उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकी शैल्क्य मशीनों का विकास करना;
(vii) उपयुक्त कार्यकलापों के लिए अन्य अनुसंधान एवं ट्रेनिंग संस्थानों के साथ भागीदारी करना;
(viii) योजना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों को मजबूत बनाना।

8.1.3 निप्टम और आईआईएफपीटी यथा निर्धारित संरचना के साथ योजना के लिए अपने संगठन में पीएमयू की स्थापना करेंगे। इन पीएमयू के लिए वे कर्मचारियों को संविदा के आधार पर नियोजित करेंगे। इन पीएमयू व्यवस्था को पूरा करने के लिए निप्टम और आईआईएफपीटी को योजना के अंतर्गत अनुदान दिया जाएगा।

8.1.4 निप्टम और आईआईएफपीटी को बजट के साथ उन कार्यकलापों के लिए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान (पीआईपी) तैयार करनी चाहिए जिन्हें वे चलाने का प्रस्ताव करते हैं और उसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को भेजना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में क्षमता निर्माण एवं अनुसंधान समीक्षा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान (पीआईपी) की जांच करेगी और उनके लिए आईमैक का अनुमोदन प्राप्त करेगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान (पीआईपी) में अनुमोदित किए गए कार्यकलापों के लिए निप्टम और आईआईएफपीटी को योजना के अंतर्गत वित्तीय उपलब्ध कराएगा।
8.2 राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों को सहायता:

8.2.1 राज्य सरकार को योजना के लिए एक राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थान मनोनीत करनी चाहिए। उनके कार्यकलापों में शामिल हों:—

(i) राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थान के लिए प्रोजेक्ट इम्प्लेमेंटेशन प्लान (पीआईपी) तैयार करना;
(ii) क्षमता निर्माण एवं अनुसंधान से संबंधित एसएनए द्वारा तैयार की जा रही पीआईपी को इनपुट उपलब्ध कराना;
(iii) राज्य और जिला कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण तथा ट्रेनिंग संचालित करना;
(iv) जिला रिसर्स पर्सन्स के लिए ट्रेनिंग चलाना;
(v) एसएनए द्वारा तैयार की जा रही ब्राइडिंग और विकास योजनाओं के लिए इनपुट उपलब्ध कराना;
(vi) हेड-होलिंग सूचक उद्यमों, डीपीआर की तैयारी इत्यादि के लिए जिला रिसर्स पर्सन्स को मानिटरिंग सहायता देना;

8.2.2 नामित किए गए राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थान को निफ्टीम और आईआईएफपीटी के परामर्श से राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति के अनुमोदन के पश्चात प्रस्तावित कार्यकलापों के लिए वार्षिक ट्रेनिंग कलेंडर सहित पीआईपी तैयार करके खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को भेजनी चाहिए।

8.2.3 राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थान के चयन हेतु मान्यता: राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थान खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में शामिल मौजूदा संस्थान होना चाहिए। यह संस्थान निम्न हो सकता है:

(i) राज्य कृषि विश्वविद्यालय अथवा अन्य किसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत कॉलेज एवं संस्थान;
(ii) राज्य के स्वामित्व में खाद्य प्रसंस्करण एक प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान;
(iii) खाद्य प्रसंस्करण पर फोकस करने वाली सीएसआईआर के अधीन कोई संस्थान अथवा भारत सरकार का कोई संस्थान;
(iv) यदि यह कॉलेज हो तो इसमें खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में अंडरग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम तथा आवश्यक फेक्टरी होनी चाहिए;
(v) संस्थान में आवश्यक परीक्षण एवं प्रसंस्करण उपकरणों के साथ पूर्ण प्रयोगशाला होनी चाहिए;
(vi) संस्थान में अनुसंधान कार्य करने और उत्पाद विकास के लिए फैक्टरी एवं खाद्य प्रसंस्करण, विशेष रूप से, एमएसएमईज के लिए मशीनरी होनी चाहिए;
(vii) प्रस्ताव की राज्य सरकार द्वारा सिकायत की जानी चाहिए;
(viii) संस्थान को नोडल अधिकारी तथा योजना पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने वाले कम से कम दो सदस्यों से बनी एक समार्थित टीम नियुक्त करने का इच्छुक होना चाहिए;
(ix) संस्थान के पास योजना के अंतर्गत लाभाधिकारियों के लिए ट्रेनिंग चलाने के लिए पर्याप्त निर्मित स्थान होना चाहिए;

लिंब्रह्म हो यदि संस्थान के पास राज्य के लिए ओडीआई के अंतर्गत कुछ उपायों के प्रसंस्करण के लिए पाइलट प्लांट हों।
8.3 व्यक्तियों/समूहों को ट्रेनिंग सहायता:

8.3.1 ट्रेनिंग सहायता उन व्यक्तिगत उद्योगों और समूहों को दी जाएगी जिन्हें पूंजी निवेश के लिए सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, ट्रेनिंग सहायता उन जिलों में अन्य मौजूदा उद्योगों और समूहों को भी दी जाएगी जो ओडीओपी उपयोगों का प्रसंस्करण कर रहे हैं। योजना के अंतर्गत जिन समूहों को विपणन और व्यापक लिए सहायता दी जा रही है उन्हें ट्रेनिंग सहायता भी दी जाएगी।

8.3.2 ट्रेनिंग पर खर्च किए जाने के लिए कौशल विकास एवं उद्योगशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने प्रति घण्टे की दर निर्धारित की है। योजना के लिए यही बैंक मार्क दर उपयोग की जाएगी। ट्रेनिंग का प्रकार और घण्टों की संख्या को निर्धारित मानदंड का अनुसरण करना चाहिए।

8.3.3 योजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण हेतु निम्नलिखित फोकस क्षेत्र हैं:

(i) उद्योगशीलता विकास, उद्योग प्रचालनों के महत्वपूर्ण कार्य, विपणन, खाताबंध, पंजीकरण, एफएसएसएआई मानक, उद्योग अध्ययन, जीएसटी पंजीकरण, संज्ञा हाईजीन इत्यादि;

(ii) ओडीओपी उद्योगों अथवा आवश्यक मशीनों, हाईजीन समस्याओं, पैकेजिंग, स्टोरेज, खरीद, नए उपयोग विकास हेतु उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद के लिए तैयार किया गया विशेष ट्रेनिंग।

8.3.4 ट्रेनिंग मॉड:

i. ऑनलाइन मॉड में सभी उद्योगों के लिए लागू सांझा ट्रेनिंग के लिए उपयोग किया जाएगा;

ii. यथासंभव आरएसआई भौतिक अवसंरचना प्रकार करने हेतु ओडीओपी के लिए जिलों को उत्तराधिकारी ट्रेनिंग दी जाएगी;

iii. जिले के भीतर ओडियो-विजुअल सहायता उपयोग करके साताहिक और प्राचीन उद्योग प्रचालन देने के लिए ट्रेनिंग लघु मॉडूलों में आयोजित किया गया जाएगा।

iv. ट्रेनिंग का एक महत्वपूर्ण अवयव उद्योगों पर कार्य करना होगा जिन्हें उद्योग खरीदने जा रहे हैं और हाईजीन तथा पैकेजिंग के बारे में ट्रेनिंग देनी; इसलिए अल्पकाल के लिए ट्रेनिंग के लिए एक विशेष अवयव जिले के भीतर अथवा आवश्यक मशीनों का प्रयोग करके मौजूदा उद्योगों में ऐसे लाभार्थियों के लिए शुरू किया जा रहा है।

8.3.5 हैड-होल्डिंग सहायता: योजना में सूचक खाता प्रसंस्करण उद्योगों को हैड-होल्डिंग सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला/क्षेत्र स्तर पर रिसर्च पर्स्नैस नियुक्त करने की परिकल्पना की गई है। ये रिसर्च पर्स्नैस निम्नलिखित कार्य करेंगे:

(i) हैड-होल्डिंग सूचक उद्योग की डीपीआर तैयार करना, मौके पर प्राप्त करना, हैड-होल्डिंग देना, उद्योग का उन्मण करना, अनिवार्य विनियामक अनुमोदन प्राप्त करना, हाईजीन इत्यादि;
(ii) पीआईपी, ओडीओपी, क्लस्टर अध्ययन तथा अध्ययन ग्रुपों के लिए इनपुट उपलब्ध कराना;
(iii) व्यक्तिगत सृष्टि उद्यमों और समूहों तथा सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए सब्सिडी एवं प्रारंभिक पूंजी के लिए आवेदनों की पहचान और सुविधा।

9. संस्थागत आर्किटेक्चर:
9.1 योजना के लिए सभी प्रशासनिक स्तरों पर मजबूत संस्थागत आर्किटेक्चर तैयार की जाएगी। योजना का कार्यान्वयन करने और प्रगति की मानचित्रित करने के लिए राष्ट्र, राज्य और जिला स्तरों (नीति मार्गदर्शन हेतु) पर समिति होगी। ये समितियाँ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और राज्य नोडल एजेंसियों के स्तर पर राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रभाग के नियोजक की निगरानी करेंगी। इनके अलावा, पीएमएसू सैटप होंगे जिनमें परामर्शदाता शामिल होंगे और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और राज्य नोडल एजेंसियों के स्तर पर राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रभाग को पूर्वकालिक सहायता देने के आधार पर विशेष नियोजित किए जाएंगे। संस्थागत संरचना नीचे चार्ट में दर्शाई गई है और उसका खंड में वर्णन किया गया है:-

चित्र 1: संस्थागत आर्किटेक्चर
9.2 राष्ट्र स्तरीय अवसंरचना:
9.2.1 अंतर मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति:
9.2.1.1 राष्ट्रीय स्तर पर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति होगी जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी:

सारणी 1: आईएमईसी का संरचना

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.स.</th>
<th>गठन</th>
<th>पदनाम</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री</td>
<td>अध्यक्ष</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री</td>
<td>उपाध्यक्ष</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>सचिव, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>सचिव, मात्रिकी विभाग, भारत सरकार</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग, भारत सरकार</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>सचिव, कोशल विकास एवं उद्यमीशिलता मंत्रालय</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>सचिव, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>चेयरमैन, एफएसएसएआई</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>चेयरमैन, एनएसडीसी</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>नाबाद का प्रतिनिधि</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>एएस एंड एफए, खाद्य उपनगर</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>16.</td>
<td>नीति आयोग का प्रतिनिधि</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>17.</td>
<td>मिशन निदेशक (अपर/संयुक्त सचिव और उससे ऊपर रैक का अधिकारी), खाद्य उपनगर</td>
<td>सदस्य सचिव</td>
</tr>
</tbody>
</table>

9.2.1.2 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय आईएमईसी, पीईसी और क्षमता निर्माण एवं अनुसंधान समिति में किसी भी सदस्य को मनोनीत कर सकता है। आईएमईसी तिमाही में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करेगी और नीति बनाने वाली निकाय होगी जो योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए समग्र निर्देशन और मार्गदर्शन करेगी तथा इसकी प्रगति एवं निष्पादन की समीक्षा करेगी।

9.2.1.3 आईएमईसी के कार्य होंगे:
(i) निम्नलिखित का अनुमोदन:
(ii) योजना के दिशा निर्देश: 
(ख) एसएलएसी से उचित अनुमोदन के पश्चात राज्यों द्वारा प्रस्तुत की जा रही पीआईपीज़;
(ग) विशेषतः संस्थाओं को पैनलबद्ध करना;
(घ) 10 लाख रुपए से अधिक के आकार वाली परियोजना के सभी प्रस्तावों का अनुमोदन;
(ड.) क्षमता निर्माण और अनुसंधान के लिए पीआईपी;

(ii) निम्नलिखित की समीक्षा:
(क) पीआईपी इम्प्लीमेंटेशन;
(ख) विभिन्न अध्ययन;
(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और राज्य एजेंसियों के क्षमता निर्माण कार्यकलाप;
(घ) कौशलों सहित ट्रेनिंग एवं उद्योगों तथा समूहों को दिया गया इंडीपी – ट्रेनिंग समिति फीडबैक के अनुसार समय पर प्रशिक्षण की विस्तुत समीक्षा;
(ड.) राज्य संस्रों की मजबूती के लिए शुरू की जा रही गतिविधियाँ;
(च) नोडल बैंकों सहित सूचक उद्योगों और समूहों के लिए सचिवालय का समय पर वितरण।

(iii) उपर्युक्त अनुमोदन एवं समीक्षा कार्यकलापों के अलावा आईएमएसी निम्नलिखित कार्य भी करेगी:
(क) समीक्षा करना और तैयारिक लक्ष्य निर्धारित करना;
(ख) अंतर मंत्रालयी सहयोग एवं समवेत्य नि मोटिंग करना;
(ग) समग्र योजना प्राधिक की निरीक्षण करना;
(घ) राज्यों के निष्पादन की जांच करना;
(ड.) योजना के कार्यान्वयन से संबंधित कोई अन्य मामला।

9.2.2 प्रोजेक्ट एक्जीक्यूटिव कमेटी (पीईसी) :
9.2.2.1 निम्नलिखित संरचना के साथ योजना की नियमित मोटिंग और कार्यान्वयन के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में प्रवाहान स्तर पर एक प्रोजेक्ट एक्जीक्यूटिव कमेटी (पीईसी) गठित की जाएगी:-

सारणी 2: कार्यकारी समिति की संरचना:

<table>
<thead>
<tr>
<th>सारणी</th>
<th>अपर सचिव, खाद्यउपमं</th>
<th>चेयरपर्सन</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>i.</td>
<td>अपर संयुक्त सचिव – वाणिज्य, कृषि, प्रांगण विकास, पशुपालन और टेडरी, मालिकाय, एमएसएम, एमएसडी, शहरी विकास एवं एवास मंत्रालय/विभाग और नीति आयोग</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ii.</td>
<td>एसए दूर फाइन, खाद्यउपमं</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>iii.</td>
<td>अपर/संयुक्त सचिव – वाणिज्य, वृक्ष, प्रांगण विकास, पशुपालन एवं टेडरी, मालिकाय, एमएसएम, एमएसडी, शहरी विकास एवं एवास मंत्रालय/विभाग और नीति आयोग</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>iv.</td>
<td>एसए एड, एफए, खाद्यउपमं</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
</tbody>
</table>
9.2.2.2 कार्यकारी समिति महीने में एक बार बैठक करेगी और उसके निम्नलिखित कार्य होंगे:-

(i) निम्नलिखित का अनुमोदन:
  (क) अनुमोदन के लिए आईएमईसी को प्रस्तुत किए गए सभी प्रस्तावों की जांच करना जिसमें राज्यों, राष्ट्रीय संस्थाओं, राज्य सरकार तकनीकी संस्थाओं के पीआईपीज और राज्यों द्वारा प्रस्तावित किए गए 10 लाख रुपए से अधिक के अनुमोदन हेतु परियोजनाएं शामिल हैं;
  (ख) एनपीएमयू की स्थापना;
  (ग) योजना के अंतर्गत उन मदों के लिए परियोजनाएं अनुमोदित करना जिन पर भारत सरकार द्वारा व्यय किया जाएगा और जिन मदों पर 100% केंद्रीय हिस्से के रूप में परंतु अधिकतम 10 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे;
  (घ) व्यक्तिगत लाभाधिकृतों को भारत सरकार के हिस्से के रूप में मैचिंग अनुदान का 60% हिस्सा जारी करना;
  (ड.) आईईसी प्रस्ताव;
  (च) एमआईएस से संबंधित निर्णय।

(ii) निम्नलिखित की समीक्षा:
  (क) नोडल बैंकों के साथ सूचक उद्यमों और समूहों के लिए समय पर सब्सिडी का वितरण और आपूर्तकर्ता के समय आईएमईसी को सब्सिडी में वृद्धि;

(iii) उपर्युक्त अनुमोदन एवं समीक्षा कार्यकलापों के अलावा पीईसी निम्नलिखित कार्य भी करेगी:
  (क) आईएमईसी द्वारा निर्धारित किए जा रहे वार्षिक लक्ष्यों के अनुरूप योजना के लिए मासिक लक्ष्य निर्धारित करना;
  (ख) पोर्टल और प्रभावी डेशबोर्ड मॉनिटरिंग के माध्यम से योजना की प्रगति की मॉनिटरिंग;
  (ग) अंतर रणनीतियां सहयोग।

9.2.3 क्षमता निर्माण एवं अनुसंधान समिति:
9.2.3.1 ट्रेनिंग एवं अनुसंधान पहलुओं की जांच करने के लिए राष्ट्र स्तर पर क्षमता निर्माण एवं अनुसंधान समिति होगी। इस समिति की अध्यक्षता विशेषाधीन उद्योग विशेषज्ञ द्वारा की जाएगी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-
## सारणी 3 : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में ट्रेनिंग समिति की संरचना

<table>
<thead>
<tr>
<th>सं.</th>
<th>कार्यक्रम का विषय</th>
<th>सदस्य</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>i.</td>
<td>उद्योग विशेषज्ञ</td>
<td>चेयरपरसन</td>
</tr>
<tr>
<td>ii.</td>
<td>उप-कुलपति, निपटंम/निदेशक, आईआईएफपीटी</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>iii.</td>
<td>कौशल ट्रेनिंग का कार्य देखने वाले संयुक्त सचिव, खाद्यउद्योग</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>iv.</td>
<td>संयुक्त सचिव, आईआईएएफपीटी</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>v.</td>
<td>खाद्य क्षेत्र कौशल परिषद का प्रतिनिधि</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>vi.</td>
<td>सीएफटीआरआई/डीएफआरएल/संगठन आईसीएआर संस्थाओं के प्रतिनिधि</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>vii.</td>
<td>ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>viii.</td>
<td>कार्यक्रम निदेशक, खाद्यउद्योग द्वारा यथानामित बैंकिंग/वित्त तथा विपणन/ब्रांडिंग में विशेषज्ञ</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 9.2.3.2 कैपिस्टी बिल्डिंग एवं अनुसंधान समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे:

1. **निम्नलिखित का अनुमोदन:**
   (i) योजना के अंतर्गत कैपिस्टी बिल्डिंग एवं अनुसंधान कार्यक्रम चलाने के लिए मार्गदर्शन;
   (ii) पीईसीसी एवं एसएनएस से अनुमोदन हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, राज्य और जिला एजेंसियों के कैपिस्टी बिल्डिंग कार्यक्रमों के प्रस्ताव;
   (iii) उद्योगों और समूहों के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य एजेंसियों द्वारा दिया जा रहा ट्रेनिंग हेतु कैलेंडर और पाठ्यक्रम;
   (iv) उद्योगों के लिए एफयूपीज तथा डीपीआरएल के लिए हेड-होल्डिंग सहायता मॉड्यूलों के लिए पाठ्यक्रम ।

2. **निम्नलिखित की समीक्षा:**
   i) राष्ट्रीय, राज्य एजेंसियों और जिला रिसर्स व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित किए ट्रेनिंग कैलेंडरों के अनुसार दिए जा रहे ट्रेनिंग ।

### 9.2.4 राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन उद्योग (एनपीएमयू):

राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम प्रबंधन उद्योग होगी जिसमें संविदा के आधार पर नियोजित किए गए पेशेवर तथ्य की शामिल होंगे। पीएमयू ऊपर सुचीबद्ध किए सभी कार्य संचालित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के कार्यक्रम प्रबंध को पूरी सहायता देगा। एनपीएमयू के विशिष्ट कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) आवश्यक टेम्पलॉट्स तैयार करना, अध्ययनों तथा पीआईसी को समय से पूरा करने के लिए राज्य पीएमयू तथा एसएनएस का बारीक समन्वय, संवेदनशीलता और निगरानी करना;
(ii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, राज्य और जिला एजेंसियों के कार्यक्रमों की क्षमता का निर्माण करना तथा ट्रेनिंग समिति एवं पीईसी के समृद्धित अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना;
(iii) राष्ट्रीय पोर्टल एवं एमआईएस का विकास तथा पोर्टल में सूचना का समय पर प्रवाह सुनिश्चित करना;
(iv) ट्रेनिंग समिति द्वारा आगे की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय, राज्य एजेंसियों तथा जिला रिसर्स व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित किए गए ट्रेनिंग कलेंडरों के अनुसार दिए जा रहे ट्रेनिंग;
(v) राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थाओं की मजबूती;
(vi) राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से उद्योगों को सम्बंधी का समय से संवितरण;
(vii) अनुमोदन हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को राज्यों और अन्य एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत की गई डीपीआर का मूल्यांकन;
(viii) समूहों के लिए प्रारंभिक पूंजी सहायता की समय पर प्रबंध करना;
(ix) एसएनए से ब्रांडिंग और विपणन योजनाओं का समय से प्रस्तुतीकरण;
(x) एसपीएमयू एवं जिला रिसर्स पर्सन्स की समय से स्थापना।

9.2.5 नोडल बैंक: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय फैसलतेशन और सिबिडी के प्रवाह को बैंकों से सुक्ष्म उद्योगों के लिए सुचारू बनाने हेतु नोडल बैंक का चयन करेगा। नोडल बैंक के कार्यों में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे:

(i) आवेदनों के लक्ष्य के अनुरूप अनुमोदनों के लिए मॉनिटरिंग करना और बैंकों के साथ संपर्क स्थापित करना तथा व्यक्तिगत सुक्ष्म उद्योगों और समूहों को सम्बिती का समय पर संवितरण;
(ii) केंद्र और राज्य सरकारों से ऋणदाता बैंक खाते में लाभाथों के बैंक खाते में संबिती का ट्रांसफर।

9.3 राज्य स्तरीय संरचनाएं:
9.3.1 राज्य स्तर पर एक राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति योजना के कार्यन्वयन की निगरानी करेगी और योजना का प्रचालन राज्य पीएमयू की सहायता से नामित राज्य नोडल एजेंसी द्वारा किया जाएगा। ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

9.3.2 राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति:
9.3.2.1 राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव अथवा उसके नामित द्वारा की जाएगी और उसकी संरचना निम्नानुसार होगी:-

<table>
<thead>
<tr>
<th>i. मुख्य सचिव</th>
<th>चेयरपर्सन</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ii. विल सचिव</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>iii. एसशीए/पीआर सचिव/खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, उद्योग, एमएसएमई, मस्तिष्की, पशुपालन, कोशल विकास के सचिव</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>iv. मिशन निदेशक, एसआरएलएम</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>v. राज्य स्तरीय संस्थान का प्रतिनिधि</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>vi. संस्थान-मुख्य राज्य तकनीकी संस्थाओं के प्रतिनिधि</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>vii.</td>
<td>नाबाड़ी, एनएसडीसी, एसएलबीसी, एनसीडीसी के प्रतिनिधि</td>
</tr>
<tr>
<td>viii.</td>
<td>राज्य सरकार द्वारा प्रथानामित बैंकिंग/वित्त तथा विपणन/ब्रांडिंग में विशेषज्ञ</td>
</tr>
<tr>
<td>ix.</td>
<td>राज्य नोडल अधिकारी</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>सदस्य सचिव</td>
</tr>
</tbody>
</table>

9.3.2.2 राज्य सरकार, एसएलसी अथवा डीएलसी में किसी अन्य सदस्यों को नामित कर सकती है।

9.3.2.3 राज्य सत्रीय अनुमोदन समिति निम्नलिखित के अनुमोदन हेतु उत्तरदायी होगी:-
(i) सर्वेक्षण/अध्ययन;
(ii) एसएनए द्वारा प्रस्तुत पीआईपी;
(iii) राज्य एवं जिला अधिकारियों के क्षमता निर्माण कार्यकलाप;
(iv) राज्य सत्रीय एजेंशियों, उद्यमों के लिए रेखांकन एवं कौशल विकास कैलेंडर;
(v) राज्य के संस्थानों की मजबूती;
(vi) एमओएफपीसी की सिफारिशें के साथ समूहों हेतु सक्षमता प्रस्ताव;
(vii) सांख्य सुविधाओं, समूहों तथा विपणन एवं ब्रांडिंग के उपबंधों हेतु प्रस्ताव;
(viii) समूहों का प्रारंभिक पूंजी;
(ix) एसएलसी को पीआईपी में शामिल विभिन्न कार्यकलापों पर 10 लाख रुपये तक के परियोजना व्यय की स्वीकृति का अधिकार होगा।

9.3.2.4 उपर्युक्त अनुमोदनों के अलावा, एसएलसी निम्नलिखित कार्यकलाप भी करेगी:-
(i) योजना के समग्र लक्ष्यों की तर्ज पर योजना के लिए मासिक लक्ष्य निर्धारित करना।
(ii) पोर्टल के माध्यम से योजना की प्रगति की निगरानी करना।
विकास संबंधित संगठनों के समय सहक्रिया सुनिश्चित करना।
(iv) योजना के अंतर्गत वित्तपोषित उद्योगों/सीएफसी का निरीक्षण सुनिश्चित करना।

9.3.3 राज्य के नोडल विभाग: प्रत्येक राज्य सरकार को योजना के इम्प्लीमेंटेशन पर निगरानी रखने के लिए सरकार के स्तर पर एक नोडल विभाग तथा राज्य नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए। नोडल विभाग का चयन, राज्य में सूची एवं क्लस्टर स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में शामिल विभिन्न विभागों के संबंध बल तथा अनुभव को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। राज्य नोडल अधिकारी, सचिव अथवा निदेशक/एचओडी के रूप में कार्य करना चाहिए। संभवतः रूप से नोडल विभाग, कृषि अथवा बागवानी विभाग, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उद्योग विभाग, एमएसएमई विभाग अथवा ग्रामीण विकास विभाग हो सकते हैं।
9.3.4 राज्य नोडल एजेंसी: प्रत्येक राज्य को एक राज्य नोडल एजेंसी नियुक्त करना चाहिए। राज्य सरकार का एक निदेशालय, मिशन अथवा एक संस्था राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) हो सकती है। एसएनए, योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए राज्य स्तर पर एक परिचालन एजेंसी होगी। एसएनए की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित शामिल होंगे:—
(i) विभिन्न अध्ययनों का संचालन करना;
(ii) पीआईपी तैयार करवाना;
(iii) राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थाओं तथा जिला रिसोर्स पर्सन द्वारा किए जा रहे ट्रेनिंग एवं क्षमता निर्माण कार्यकलापों की निगरानी करना;
(iv) राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थाओं की मजबूती;
(v) जिला समितियों द्वारा साबित दिक्षा क्रांतियों का समय से प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना;
(vi) सांझा सुविधाओं के प्राचीनत्वों हेतु योजना का समय से प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना;
(vii) समूहों के प्रारंभिक पूंजी प्रस्तावों का समय से प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना;
(viii) ब्राइंडिंग एवं विपणन प्रस्तावों का विकास करना;
(ix) डीपीआर के लिए रिसार्स पर्सन द्वारा दी जाने वाली हैड-होलिंग सहायता की निगरानी करना;
(x) एसपीएमयू की स्थापना करना;
(xi) जिला रिसोर्स पर्सन को भाड़े पर रखने के लिए निगरानी एवं अनुमोद;
(xii) एमओएफपीआई में निर्धारित प्रपत्र में उपयोग प्रमाण-पत्र (यूसीज) तथा नियमित प्रमाण रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
(xiii) आईईसी;
(xiv) बेहतरीन प्रैक्टिसिस को सांझा करना।

9.3.5 स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (एसपीएमयू): राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) को स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (एसपीएमयू) की नियुक्ति करनी चाहिए। एसपीएमयू की नियुक्त संविदा अथवा प्रतिनिधित्व के आधार पर भर्ती अथवा एसएनए के स्टाफ में से भर्ती द्वारा जा सकती है। योजना के कार्य के लिए एसपीएमयू स्टाफ को पूर्वकालिक आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए। एसएनए, प्रतिस्पर्धी बोधी प्रक्रिया के माध्यम से एसपीएमयू के रूप में एक निजी एजेंसी को नियुक्त करने का भी निर्णय ले सकती है।

9.3.6: एसएनए के प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में योजना के व्यवस्था का 2% दिया जाएगा। एसपीएमयू द्वारा होने वाले व्यवस्था के अंतर्गत अनुमानत 2% के प्रशासनिक लागत में से एसएनए द्वारा विवेक दिया जाएगा।
9.3.6.1 एसपीएमयू का मुख्य उत्तरदायित्व पैरा 9.3.4. में दर्शाए गए एसएनए के सभी कार्यों में सहायता करना होगा।

9.3.7 जिला स्तरीय संरचनाएँ:
9.3.7.1 जिला स्तरीय समिति: जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक डिट्रिक्ट लेवल कमेटी (डीएलसी) का गठन किया जाएगा। इस समिति में पंचायतों, बैंकों, विश्वविद्यालयों, शिक्षा जगत, सामुदायिक संस्थानों, एफपीओ/एसएचजी आदि का प्रतिनिधित्व होगा। डीएलसी के सदस्य के रूप में जिला कलेक्टर किसी अन्य व्यक्ति को सहयोगिता कर सकता है। जिला स्तरीय समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:

सारणी 5: डीएलसी की संरचना

<table>
<thead>
<tr>
<th>सं.</th>
<th>जिला कलेक्टर</th>
<th>अध्यक्ष</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>i.</td>
<td>जीएम, डीआईसी, जिला कृषि अधिकारी, जिला बागवानी अधिकारी</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>ii.</td>
<td>एक ग्राम पंचायत का सरपंच</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>iii.</td>
<td>एक खंड विकास अधिकारी</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>iv.</td>
<td>जिले के मुख्य बैंक का प्रबंधक</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>v.</td>
<td>एसएचजी/एफपीओ के प्रतिनिधि</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>vi.</td>
<td>नाबाड़ के प्रतिनिधि</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>vii.</td>
<td>एसआरएलएम के जिला प्रतिनिधि</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
<tr>
<td>viii.</td>
<td>कलेक्टर द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति</td>
<td>सदस्य</td>
</tr>
</tbody>
</table>

9.3.7.2 डीएलसी निम्नलिखित के लिए जबाबदेह होगी:
(i) एकल सूक्ष्म उद्योगों को रूप एवं समर्थन के आवेदनों का अनुमोदन;
(ii) एसएनए के कॉम्पोनेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं समूहों के आवेदनों का अनुसंधान करना;
(iii) जिला रिसर्स पर्सन द्वारा सूक्ष्म उद्योगों को दी जाने वाली हेंड-होल्डिंग सहायता की निगरानी करना;
(iv) पोर्टल तथा प्रभावी डेसबोर्ड निगरानी के माध्यम से योजना की प्रगति की निगरानी करना;
(v) सभी संबंधित संस्थानों के साथ सहकारता सुनिश्चित करना।

9.3.8 रिसर्स पर्सन:
9.3.8.1 जिला/क्षेत्रीय स्तर पर लाभाधिकारियों को हेंड-होल्डिंग सहायता उपलब्ध कराने के लिए एसएनए द्वारा रिसर्स पर्सन नियुक्त किया जाना चाहिए।

9.3.8.2 आर्पीज के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:
(i) ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान से खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्री;
(ii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रौद्योगिकी उन्नयन, नए उत्पादों के विकास, गुणवत्ता आश्वासन, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के संबंध में परामर्श सेवाएं प्रदान करने का 3-5 वर्ष का अनुभव;
(iii) यदि खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योग्य व्यक्ति उपलब्ध न हों तो, खाद्य प्रसंसकरण उद्योग, बैंकिंग/डीपीआर तैयार करने और ट्रेनिंग में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है।

9.3.8.3 रिसोर्स परस्न, एकल उद्योगों एवं समूहों को डीपीआर तैयार करने, बैंक से ऋण लेने, एफएसएसएआई के खाद्य मानकों, उद्योग आधार, जीएसटी आदि साहित्य आवश्यक पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता जैसी हैड-होशिंग सेवाएं प्रदान करेंगे।

9.3.8.4 प्रस्तुत लाभार्थी को उपलब्ध कराई गई सहायता के आधार पर रिसोर्स पर्सन का भुगतान, बैंक से ऋण की स्वीकृति के उपरांत किया जाएगा। प्रस्तुत रिसोर्स पर्सन को प्रति बैंक ऋण स्वीकृति के 20,000 रूपए की दर से भुगतान किया जाएगा। 50% का भुगतान बैंक से ऋण की स्वीकृति के पश्चात किया जाएगा और शेष 50% का भुगतान उद्योग को जीएसटी एवं उद्योग आधार पंजीकरण प्राप्त होने तथा एफएसएसएआई मानकों के अनुपालन, परियोजना के इम्प्लेमेंटेशन तथा ट्रेनिंग प्रदान करने के पश्चात किया जाएगा।

9.3.9 राज्य नोडल विभाग को आवेदनों के प्रवाह तथा अनुमोदन प्रक्रिया और योजना के अंतर्गत सहायता के संबंध में निर्णय लेना चाहिए। उन्हें निम्नलिखित के लिए डीएलसी, एसएनए तथा राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों की अपनी-अपनी भूमिकाएं तय करनी चाहिए:

(i) व्यक्तिगत आवेदन की संशोधन सूची के लिए अनुमोदन का स्तर;
(ii) राज्य तर के भीतर समूहों के आवेदन के प्रवाह और संशोधन इंफ्रास्ट्रक्चर;
(iii) डीएलसी, एसएनए तथा राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों के बीच ट्रेनिंग तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों तथा निर्णय लेने;
(iv) राज्य के भीतर आवेदनों के प्रवाह तथा सहायता की प्रक्रिया से संबंधित यह निर्णय दिशानिर्देशों में निर्धारित एजेंसियों की भूमिकाओं की परवाह किए बिना लागू होंगे।

9.3.10 अभिसरण के लिए भागीदारी संस्थान:

9.3.10.1 इस योजना में एससी/एसटी, महिलाओं, आलोक, एफपीओज, एसएचजी तथा उपादक सहकारियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन क्षेत्रों में निम्नलिखित संगठन कार्य करते रहे हैं:-

(क) ट्राईफ़ाइड;
(ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विकास विभाग;
(ग) राष्ट्रीय सहकारियों विकास निगम;
(घ) लघु कृषि कृषि व्यापार संघ;
(ड.) ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आर्जीविका मिशन।
9.3.10.2 उपयुक्त संस्थान क्रमशः एसटीज,एससीज, सहकारिताओं, एफपीओ तथा एसएचजी की उद्योगों/क्लासस्टरों के चिह्नित स्थानों को सुविधाजनक बनाते हुए अपने कार्यकलापों का अभिमोहन कर सकते हैं। उन्हें योजना के अंतर्गत इन संस्थानों के वित-पोषण तथा विकास के लिए दीपीआर एवं प्रस्तावों को तैयार करने में सहायता करनी चाहिए और इस प्रकार के प्रस्तावों को राज्य पीसीआई को पहुँचाना चाहिए। उन्हें इस प्रकार सहायता प्राप्त उद्योगों को हेड-होलिंग सेवाएं भी प्रदान करनी चाहिए और इस प्रयास में राज्यों के साथ कार्य करना चाहिए। प्रत्येक भागीदार संस्थान पीईसी का सदस्य होगा।

10.0 अध्ययन एवं रिपोर्टः

10.1 स्टेट लेवल अप्लेडेशन प्लान (एसएलपी)ः एसएनए को एक राज्य स्तरीय उन्नयन योजना (एसएलपी) संचालित करनी चाहिए जिसमें निम्नलिखित दो अवयव होंगे:

10.1.1 बेस-लाइन अंकलनः बेस-लाइन अंकलन अध्ययन में ओडीओपी की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह अध्ययन प्रलेखन राज्य में 31 जुलाई, 2020 तक पूरा हो जाना चाहिए। इस अध्ययन के लिए राज्यों को 2.5-10.0 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे।

10.1.2 राज्य स्तरीय उन्नयन योजनाः एक बार जब ओडीओपी के संबंध में निर्णय हो जाता है तब जिले में उस उत्पाद का प्रसंस्करण करने वाले उद्योगों की संख्या, खेत तर के प्रचालन, कुल मात्रा तथा उपज का मूल्य, पौधों की मात्रा, खेत तर के प्रसंस्करण, स्टोरेज, गोदाम, प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या तथा उनका ब्योरा देते हुए राज्यों में अध्ययन कराया जाना चाहिए। यह अध्ययन 31 दिसंबर, 2020 तक संचालित हो जाना चाहिए। उपयुक्त अध्ययन के लिए राज्यों की दी जानी वाली राशि 10.0-75.0 लाख रुपए होगी। उपयुक्त अध्ययन के टर्म्स आफ रिफरेंस (टीओआर) यथा निर्धारित होंगे।

10.2 एफपीओ/उत्पादक सहकारिताओं/एसएचजी का अध्ययनः उपयुक्त अध्ययन के समानांतर एसएनए को एनसीडीसी, एसएफएसी, टीओएफ, एनएससीएएफडीसी तथा एसआरएलएम के समन्वय में राज्यों में एसएचजी, उत्पादक सहकारिताओं, एफपीओ के संचालन से संबंधित अंकड़ों एकत्र किए जाने चाहिए।

10.3 जब राज्य स्तरीय उन्नयन योजना में परिकल्पित इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अन्य सुविधाओं का अध्ययन कार्य पूरा हो जाए तब उन जिलों में ओडीओपी के लिए आयोजन की कार्यवाही हेतु अन्य अध्ययन कराया जाना चाहिए। एसएनए द्वारा संचालित किए जाने वाले किसी अन्य अध्ययन के लिए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान में अध्ययन का प्रस्ताव शामिल होना चाहिए और उसे लागू अनुमानों के साथ अनुमोदन हेतु एमओएफपीआई में भेजा जाना चाहिए।
11.0 प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान (पीआईपी):

11.1 प्रत्येक राज्य को वर्ष भर के लिए पिछले वर्ष के जनवरी महीने में एक पीआईपी तैयार करके अनुमोदन हेतु उस वर्ष के 31 जनवरी तक एमओएफपीआई में भेज देना चाहिए। पीआईपी को अनुमोदन के लिए अंतर मंत्रालयी अधिकारी प्राप्त समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए। राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति को एमओएफपीआई में पीआईपी की संस्थानिकी कार्यान्वयन करने की अनुमति दी जाती है। पीआईपी एक राज्य के पीआईपी में पिछले विल वर्ष के 31 मार्च तक पीआईपी का अनुमोदन कर देना चाहिए। वर्ष 2020-21 में पीआईपी का अनुमोदन हेतु राज्यों द्वारा दिनांक 30 सितंबर, 2020 तक एमओएफपीआई में भेजा जाना चाहिए।

11.2 पीआईपी में निम्नलिखित ब्यौरे शामिल होने चाहिए:
(i) नियुक्त एजेंसियों की पहली और दूसरी वर्ष के लिए इम्प्लीमेंटेशन व्यवस्था;
(ii) नियुक्त किए गए अधिकारियों सहित राज्य मोडल एजेंसी का ब्यौरा;
(iii) एसएलएसी/डीएलएसी की संस्थान;
(iv) एसपीएमयू की ब्यौरा;
(v) प्रोजेक्ट व्यवस्था का ब्यौरा;
(vi) यौगिक स्तरीय तकनीकी संस्थान का ब्यौरा;
(vii) वर्ष के लिए योजना दिशानिर्देशों के साथ यथासंरक्षित योजनाबद्ध कार्यकलाप;
(क) योजनाबद्ध अध्ययनों का ब्यौरा और उनके पूर्ण होने की समय-सीमा;
(ख) विभिन्न संस्थाओं के लिए व्यापक भूमिका मैट्रिक्स सहित वर्ष भर के लिए योजनाबद्ध ट्रेनिंग का ब्यौरा;
(ग) संबंधी संवेदनशीलता हेतु योजना लक्ष्य व अन्य व्यवस्थापन दोनों प्रकार के उद्देश्य की संख्या;
(घ) वेबसाइट की जिला-वार विस्तृत सूची;
(ड.) कार्यक्रम में भागीदारी के रूप में चिह्नित, राज्य में एसएचओ/एफपीओ/सहकारिताओं को सूचीबद्ध करना;
(च) प्रत्येक योजना के लिए ब्रांडिंग एवं प्रकाशन योजनाओं का सार।
(viii) वर्ष भर के लिए सभी कार्यकलापों के लिए लागत अनुमानों और बजट का ब्यौरा;
(ix) योजनाबद्ध कार्यकलापों के संचालन का विस्तृत प्लान-चार्ट;
(x) प्रत्येक व्यक्ति के लिए निर्धारित स्पष्ट भूमिकाओं सहित पणधारी का मैट्रिक्स।

11.3 पीआईपी एक योजना एवं बजट से संबंधित कार्य है। पीआईपी के अनुमोदन के उपरांत राज्यों की शक्तियों के प्रयोजन के अध्यधीन राज्यों को मदद के लिए व्यापक योजना शुरू करना चाहिए।
11.4 राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति को अंकले मदों के लिए 10 लाख रुपए तक के व्यय की स्वीकृति का अधिकार है और 10 लाख रुपए से अधिक के व्यय वाले प्रस्तावों को अनुमोदन हेतु एमओएफपीआई में भेजा जाना चाहिए। इसमें, 10 लाख रुपए से अधिक के अनुदान वाली परियोजनाओं के डीपीआर्स और राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थाओं पर होने वाला व्यय जो 10 लाख रुपए से अधिक हो शामिल है।

11.5 निफ्टेम तथा आईआईएफपीटी के मामले में, उनके पीआईपी के अनुमोदन के पश्चात 10 लाख रुपए तक का व्यय करने के लिए संगठन के भीतर शक्तियों के मौजूदा प्रयागराज का उपयोग किया जाना चाहिए। 10 लाख रुपए से अधिक के व्यय के किसी भी प्रस्तावों को एक विशेष प्रस्ताव के रूप में अनुमोदन हेतु एमओएफपीआई में भेजा जाना चाहिए।

12.0 निधियों का संविदारण:

12.1 केंद्र एवं राज्यों के बीच संसाधनों के निम्नानुसार साझीदारी वाली यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है:

(i) केंद्र-राज्य के बीच 60:40 का हिस्सा;
(ii) केंद्र तथा हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों के बीच 90:10 की हिस्सेदारी;
(iii) विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्र तथा राज्यों के बीच 60:40 की हिस्सेदारी;
(iv) बंगाल विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा 100% राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

12.2 केंद्र सरकार निम्नलिखित घटकों के लिए 100% राशि उपलब्ध कराएगी:

(i) क्षेत्रीय निर्माण एवं ट्रेनिंग;
(ii) एमओएफपीआई के लिए राज्यीय पीएमयू की प्रशासनिक लागत;
(iii) राज्यीय स्तर पर ऑडियो-विजुअल, प्रिंट सामग्री के विकास तथा मोड्यूलों आदि के विकास हेतु ट्रेनिंग सहायता;
(iv) एमआईएस;
(v) प्रौद्योगिकीय तथा उत्पादों आदि के विकास;
(vi) राज्यीय स्तर के भागीदार संस्थाओं को सहायता;
(vii) राज्यीय स्तर पर एमएटीबी कार्यक्रम;
(viii) भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव रूप से किए गए व्यय का 100% एमओएफपीआई द्वारा वहन किया जाएगा।

12.3 प्रथम वर्ष में किए गए व्यय का 100% भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा चाहे वह केंद्र अथवा राज्य द्वारा किया गया हो। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह योजना राज्य के बजट के अनुमोदन के पश्चात शुरु की गई है। इसलिए, राज्य अनुपूरक बजट का अनुमोदन हो जाने पर ही वित्त पोषण
करने में सक्षम हो पाएंगे। प्रथम वर्ष में किए गए व्यय का समायोजन 60:40 के अनुपात में अगल चार वर्षों में राज्यों को हस्तांतरित की जाने वाली राशि में से बराबर रूप से किया जाएगा।

12.4 अनुमोदित पीआईपी के आधार पर पूर्व में जारी की गई राशि के अलावा किस्तों के उपयोग प्रमाण-पत्र (पूंसी) के बाद राज्यों को वर्ष में राशि का भुगतान दो किस्तों में किया जाएगा। वर्ष 2020-21 में की गई निधियों के हस्तांतरण के लिए इस प्रकार की पूंसी की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

12.5 पीएमयू, अध्ययन तथा ट्रेनिंग पर होने वाले प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों को वर्ष 2020-21 की दूसरी/तीसरी तिमाही में अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। तत्पश्चात, पीआईपी के अनुमोदन के परामाणु राज्यों को वर्ष 2020-21 के पूरे वर्ष के लिए निधियों एक ही किस्त में दे दी जाएगी।

12.6 अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी)/पूवइआर क्षेत्र (एनईआर) के लिए आवंटन।

12.6.1 योजना के अंतर्गत बजट आवंटनों में एससी/एसटी तथा एनईआर के लिए विशेष आवंटन किए जाएंगे। ये निधियाँ राज्यों को एससी/एसटी की जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाएंगी। इस प्रकार के एससी/एसटी आवंटनों का उपयोग केवल एससी/एसटी व्यक्तियों के स्वामित्व वाले उद्योगों के लिए ही किया जा सकेगा। समूहों के मामले में इस प्रकार की निधि का उपयोग केवल तभी किया जा सकेगा जब समूह के 50% से अधिक सदस्य एससी/एसटी समुदाय के हों। पूवइआर राज्यों के मामले में योजना के अंतर्गत आवंटन, इस प्रकार के राज्यों में इन निधियों के उपयोग हेतु बनाए गए मानदंडों के अनुपालन के लिए किया जाएगा।

13.0 क्रेडिट लिंकेज:

13.1 योजना के अंतर्गत मुख्य व्यय 10 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के अध्ययन सुंदर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए 35% की दर से क्रेडिट-लिंकेज अनुदान है। इसके अलावा, क्रेडिट लिंकेज अनुदान समूहों को पूंजी निवेश के लिए 35% की दर से, साझा इकाइयों के लिए 35% की दर से दिया जा रहा है। ये अनुदान बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति दिए जाने के पश्चात उधारकर्ता बैंक को ट्रांसफर किए जाएंगे।

13.2 राष्ट्रीय लाभ पर बैंकों को सबसे महत्वपूर्ण संविदा तथा बैंकों के साथ संपर्क के लिए एक नोडल बैंक की नियुक्ति की जाएगी।

13.3 ऋण की स्वीकृति देने वाला बैंक लाभार्थ के नाम से एक माइनर एकाउंट खोलेगा। उधारकर्ता बैंक ऋण की स्वीकृति से संबंधित तथ्य का राष्ट्रीय लाभ पर नोडल बैंक को सूचित करेगा। इस सूचना की प्राप्ति के उपरांत, केंद्र और राज्य सरकार को अनुदान के अनुपम क्रमश: 60% और 40% हिस्से को नोडल
बैंक में ट्रांसफर करना चाहिए। नोडल बैंक अनुदान के केंद्र के 60% हिस्से और राज्य के 40% हिस्से को
एक साथ संबंधित ऋणदाता बैंक शाखा में ट्रांसफर करेगा। वह बैंक शाखा को इस राशि को लाभार्थी के
माइनर बैंक खाते में रखना चाहिए। ऋणदाता बैंक को लाभार्थी/आपूर्तिकर्ता के लिए सांख्य सामान्य बैंकिंग
पद्धति के अनुसार स्थीरता ऋण राशि वितरित करनी चाहिए।

13.4 यदि ऋण के अंतिम हिस्से के वितरण के बाद तीन वर्षों की अवधि के पश्चात, लाभार्थी का खाता
अभी भी बैंड हो और उद्योग प्रचालनशील हो तो अनुदान की यह राशि को बैंक खाते में जमा
की जाएगी। यदि खाता ऋण की वितरण तारीख से तीन वर्ष से पहले एनपीए हो जाता है तो अनुदान की
राशि बैंक द्वारा लाभार्थी द्वारा किया गया भुगतान के प्रति समायोजित की जाएगी। खाता बैंड होने के
मामले में अनुदान राशि ऋण की राशि के मुकाबले 3 वर्षों के पश्चात समायोजित की जाती है तो
उधारकर्ता द्वारा उधारी बैंक द्वारा अनुदान राशि की प्राप्ति की तारीख से इसकी राशि के बराबर बैंक द्वारा
वितरित किया गया ऋण के हिस्से पर कोई भी ब्याज देना नहीं होगा।

13.5 इस योजना के अंतर्गत उधारकर्ता को क्रेडिट गारंटी शीमा का लाभ दिया गया ऋण के लिए राष्ट्रीय
क्रेडिट गारंटी द्वारा कंपनी की अपनी सामान्य शर्तें एवं निबंधनों के माध्यम से सूचक एवं लघु उधारण क्रेडिट
गारंटी के अंतर्गत दिया जाएगा। एमएसएमई वृद्धि क्रेडिट ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत उधारकर्ता को
जोमा शेष पर 2% का ब्याज अनुदान भी उपलब्ध होगा।

13.6 एसएनए यह सुनिश्चित करे कि आवेदन बैंकों को नियमित तौर पर अप्रेषित किया जाते रहें। यह मासिक
अथवा साधारण तौर पर एक साथ समूह के रूप में भेजे जाएं।

13.7 प्रस्ताव आवेदक के मूल केवल योजना के साथ बैंक खातों को भेजे जाने चाहिए। कार्यकाल में को
नून-तम करने के लिए ऋण आवेदन के लिए अपेक्षित दस्तावेजों जैसे उद्योग/मशीनरी की थापना करने के
लिए भूमि के लीज/स्वामिल दस्तावेज, पंजीकरण एवं अनिवार्य सरकारी स्वीकृतियों के साथ बैंकों को भेजे
जाने चाहिए। आवेदकों में पूरा प्रोजेक्ट डिटेल होना चाहिए और डीपीआर लोकल की आर्थिक
व्यवहारक्रम के अनुरूप होनी चाहिए। परियोजना की लागत इसकी आर्थिक व्यवहारक्रम के उचित
मूल्यांकन के आधार पर यथापूर्ण आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए।

14.0 एमआईएस:
14.1 इस योजना की निगमनी की जाएगी और आंकड़ों का संग्रह प्रवाह तथा प्रस्तावों के अनुमोदन
आदि का कार्य एक ऑनलाइन तंत्र से किया जाएगा। इस उद्देश्य से एमआईएस द्वारा एक
एमआईएस का विकास किया जाएगा। एमआईएस पर फ्लो/अनुमोदन से संबंधित निम्नलिखित सूचना
होगी:—
(i) राज्यों द्वारा पीआईपी के लिए भेजे गए प्रस्ताव और एमओएफपीआई द्वारा किए जाने वाले किन्हीं परिवर्तनों सहित उनका अनुमोदन;

(ii) राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग संस्थाओं द्वारा पीआईपी के लिए भेजे गए प्रस्ताव और किन्हीं परिवर्तनों सहित उनका अनुमोदन;

(iii) व्यक्तिगत सुकृम खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा प्रस्तुत किए गए रूप के आवेदन;

(iv) डीपीआर को अपलोड करना और दी गई हैंड-होलिंग सहायता का ब्यौरा;

(v) व्यक्तिगत उद्योगों को दी गई ट्रेनिंग सहायता का ब्यौरा;

(vi) बैंकों में अनुमोदित किए गए रूप के प्रस्ताव;

(vii) बैंकों द्वारा रूप की स्वीकृति के ब्यौरे को अपलोड करना;

(viii) समूहों सहित किसी व्यक्ति अथवा एजेंसी को किया गया कोई भुगतान और खातों का रख-रखाव;

(ix) ट्रेनिंग तथा हैंड-होलिंग के संबंध में समूहों अथवा व्यक्तिगत रूप से दी गई कोई सहायता;

(x) योजना के अंतगत चुन हुए किसी व्यक्ति अथवा समूह के लिए एक लेजर होना चाहिए। इस लेजर में व्यक्ति अथवा समूह को दी गई सभी प्रकार की सहायता का ब्यौरा, उनके आर्थिक कलापों का ब्यौरा तथा रूप के संबंधित आदि का ब्यौरा उपलब्ध होना चाहिए;

(xi) योजना के अंतगत एसएनए/एमओएफपीआई द्वारा किसी संस्था को किया गए सभी भुगतानों की प्रविष्टि एमआईएस में होनी चाहिए। योजना के अंतगत शुरू किए गए सभी कार्यकलापों की प्रविष्टि एमआईएस में की जानी चाहिए;

(xii) एमओएफपीआई एमआईएस का विकास करेगा। इसके विकास, रख-रखाव तथा निगरानी पर होने वाला सभी प्रकार का व्यय योजना के अंतगत एमओएफपीआई द्वारा किया जाएगा।

15.0 विशेषज्ञ संस्थाओं की सूची बनाना:

15.1 विपणन, अनुसंधान, उत्पाद विकास, पैकेजिंग, ब्राइंडिंग, ट्रेनिंग तथा हैंड-होलिंग सहायता आदि में विशेषज्ञता रखने वाले कई सरकारी एवं निजी संस्थाओं की सूची तैयार कराना जिनकी सेवाएं को राज्यों द्वारा उपयोग में लाया जा सके। सूची बनाने का यह कार्य, क्षेत्र में विशेषज्ञता के मूल्यांकन हेतु एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इन सूचीबंध संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले कार्य के लिए वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित करने के पश्चात राज्यों द्वारा इनके कार्य सौंपा जाना चाहिए।

16.0 अभिसरण क्रमवर्तमान:

16.1 योजना के अंतगत सहायता प्राप्त करने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्यम निम्नलिखित सरकारी स्कीमों के अंतगत लाभ के लिए पत्र होंगे:-
(i) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-एसएचजी को प्रारंभिक पूंजी, ट्रेनिंग, हैंड-होलिंग सहायता तथा ब्याज सहायता दे रहा है;

(ii) स्टार्ट-अप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) – यह एक केंद्र प्रायोजित योजना और एनआरएलएम का हिस्सा है। इसमें, 12% के ब्याज पर व्यक्तिगत उद्यमी के लिए 1 लाख रुपए तक और उद्यमी समूहों के लिए 5 लाख रुपए तक के ऋण के रूप में सामुदायिक उद्यम निधि (सीईएफ) के माध्यम से ग्रामीण स्टार्ट-अप को ट्रेनिंग, हैंड-होलिंग तथा सहायता द्वारा पूंजी एवं तकनीकी सहायता दी जाती है;

(iii) एमएसएमई को अधिक ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना 2018 – बकाया राशि पर ब्याज सहायता;

(iv) 2 करोड़ रुपए तक के संपादिक मुफ्त ऋण हेतु सूचक एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड;

(v) 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए प्रधान मंत्री मुद्रा योजना;

(vi) नवोने शेष, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमशीलता संवर्धन योजना (एसपीआईआरई);

(vii) ग्रामीण उद्योग पुनरुद्धार निधि योजना (एसएफयूआरटीआई);

(viii) एमआईसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति;

(ix) क्लासरो/समूहों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए एमओएफपीआई की अन्य स्कीमों जैसे कि बैंकवर्ड एवं फारवर्ड लिकेजिज, कृषि उद्यान क्लास्टर तथा गोल्ड वेन आदि के अंतर्गत उपलब्ध लाभों का उपयोग किया जाएगा;

(x) एसएचजी के कौशल ट्रेनिंग हेतु यदि दिशानिर्देशों के अंतर्गत आते होंगे तो पीएमके वीवाई और एनआरएलएम से सहायता ली जाएगी। लघु अवधि के मालिक स्थल ट्रेनिंग हेतु, इस उद्देश्य से जरूरत के मुताबिक बनाए गए एनआरएलएम और पीएम एफएमई योजना से सहायता प्रदान की जाएगी।